

2 May 2019 The Hindu Power Shift

संदर्भ

- मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पाण्डिचेरी की उप राज्यपाल किरन बेदी राज्य सरकार के रोजाना के कामकाज में दखल नहीं दे सकतीं। उनका काम केवल मंत्रिमंडल की सलाह पर अमल करना है तथा वास्तविक शक्ति जनता के जरिए चुनी गई सरकार के पास है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसके जरिए किरण बेदी को प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे।
- उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच-विवाद में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जिसमें निर्वाचित शासन को अधिक प्राथमिकता दी तथा उपराज्यपाल से कहा की वह निर्वाचित शासन की अवहेलना कर रही है और स्वयं केंद्रशासित प्रदेश चलाने की मांग कर रही है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- कोर्ट के अनुसार मंत्रीपरिषद और मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय सचिवों और अन्य अधिकारियों के लिए बाध्यकारी हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक नैतिकता से प्रेरित होकर उच्च न्यायालय ने भी याद दिलाया है कि केंद्र और प्रशासन लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवधारणा पर कार्य करें।
- यह निर्णय मुख्य रूप से उन सिद्धांतों पर आधारित है जो पिछले वर्ष संविधान पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लेफ्टिनेंट गवर्नर और निर्वाचित सरकार के बीच संघर्ष पर आधारित था। इस पर कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया की लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंत्रीपरिषद की सलाह या सहायता से कार्य करना है या किसी मामले में मतभेद होने पर राष्ट्रपति के निर्णय को संदर्भित करना है।
- मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दिल्ली और पाण्डिचेरी के बीच स्थिति में अंतर है। पाण्डिचेरी के संबंध में प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद 239A पर आधारित है जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 239AA के प्रावधानों पर आधारित हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, एनसीटी विधानसभा अपनी विधायी शक्तियों के दायरे में सीमित है, क्योंकि यह सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषयों पर निर्णय नहीं ले सकती।
- 2017 में केंद्र द्वारा जारी एक स्पष्टीकरण में कहा गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। और यह बिना सहायता और सलाह के कार्य कर सकता है।
- दिल्ली में संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर 2018 के एक अन्य फैसले मद्रास उच्च न्यायालय के साथ मतभेद था जिसमें लेफ्टिनेंट केबिनेट की सलाह के बावजूद कार्य करने की शक्ति को बरकरार रखा गया है।

अन्य निर्देश

- कोर्ट ने कहा कि किरन बेदी को कोई अधिकार नहीं है, जो वह सरकारी फाइलों को अपने पास मंगवाएं और अफसरों को दिशा निर्देश जारी करें तथा प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार केवल राज्य सरकार के पास हैं।
- गृह मंत्रालय ने 2017 में एक आदेश जारी किया था। इसके जरिए केंद्र शासित प्रदेश पाण्डिचेरी के उप राज्यपाल को अधिकार सौंपे गए थे, जिससे वह प्रशासनिक मामलों में दखल दे सकें।

The Cost of resistance

- **एंटीबायोटिक** दवाईयाँ ऐसी दवाएँ हैं, जो इन हानिकारक सूक्ष्मजीवों के विकास को कम करती हैं या नष्ट करती हैं, जैसे-बैक्टीरिया, कवक और परजीवी। एंटीबायोटिक्स कम अणुभार वाले यौगिक हैं, जिनमें से अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद से उत्पन्न होते हैं और रोगजनकों के विरुद्ध कम सान्द्रता पर सक्रिय होते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध (Antibiotic resistance) मुख्य रूप से तब होता है, जब ये सूक्ष्मजीव दवाओं के अनुकूल हो जाते हैं और इसकी उपस्थिति में निरंतर वृद्धि करते हैं।
- रोग नियंत्रण और रोकथाम केन्द्र (Centres for Disease control and Prevention - CDC) ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध पर अपनी हाल ही की रिपोर्ट प्रकाशित की है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारण संक्रमण के परिणामस्वरूप दुनियाभर में करीब 10 मिलियन लोग बीमार हो जाते हैं और 23 लाख मर जाते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 114 देशों के आँकड़ों को देखते हुए इस मुद्दे पर अपने पहले वैश्विक सर्वेक्षण की भी घोषणा की।
- बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग बैक्टीरिया जैविक दबाव बनाता है, जो कि बैक्टीरिया प्रतिरोध को बढ़ावा देता है। जब रोग को रोकने का इलाज करने की आवश्यकता होती है, तब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हमेशा किया जाना चाहिए। लेकिन विश्लेषण से पता चला है कि 50% एंटीबायोटिक दवाओं की तब दिया जाता है, जब उनकी आवश्यकता नहीं होती है या उनका दुरुपयोग किया जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध को नीति निर्माताओं द्वारा एक बड़े स्वास्थ्य संकट के साथ इसे आर्थिक प्रभाव पर विचार किया है।
- एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस पर अंतर समन्वय समूह की एक रिपोर्ट वित्तीय परिप्रेक्ष्य पर प्रकाशित की।
- इसका शीर्षक :- नो टाइम टू वेट: सिक्वोरिंग द फ्यूचर फ्रॉम द ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शंस था।
- इस रिपोर्ट के अनुसार तीन दशकों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध से आर्थिक वित्तीय संकट 2008-09 के वित्तीय संकट के समान होगा। 2050 तक प्रतिवर्ष प्रतिरोधी संक्रमण से 10 मिलियन व्यक्तियों के नकारात्मक रूप से प्रभावित होने का अनुमान है, स्वास्थ्य देखभाल की लागत और खाद्य उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी विश्व में 2050 तक अपने वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का 3.8 फीसद हिस्सा खो देगा तथा 2050 तक 24 मिलियन लोगों को अत्यधिक निधनता के चक्र में धकेल देगा।
- भारत ने पहली बार एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से लड़ने की योजना को प्रकाशित किया। इसे लागू करने में कठिनाई हुई है यह एंटीबायोटिक के अति प्रयोग और अल्प प्रयोग की चुनौतियां हैं।
- एक ओर कई व्यक्ति अभी भी निमोनिया जैसी बीमारियों से मर जाते हैं क्योंकि उन्हें समय पर दवा उपलब्ध नहीं हो पाती, दूसरी ओर कुछ लोगों द्वारा इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है।
- अन्य चुनौती पुशपालन क्षेत्र में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग द्वारा ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाती हैं। इन्हें दूर करने की प्रयास करना चाहिए और बहुहितधारक दृष्टिकोण जिसमें निजी उद्योग एनजीओ, नागरिक कार्यकर्ता शामिल हैं के द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए।
- एंटीबायोटिक दवाओं के वितरण की जिम्मेदारी निजी दवा उद्योगों द्वारा लेनी चाहिए और नई एंटीबायोटिक दवाओं के विकास पर ध्यान तथा दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता देना चाहिए।
- प्रतिरोध को दूर करने के लिए स्वच्छता व टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार एंटीबायोटिक दवाइयाँ केवल तब दी जानी चाहिए, जब मरीजों को वास्तव में उनकी जरूरत हो। डॉक्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बीमारी का इलाज करने के लिये सही एंटीबायोटिक निर्धारित कर रहे हैं।
- यदि हम संक्रमण को रोकने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं और इस प्रक्रिया में बदलाव करते हैं। तब प्रभावी

एंटीबायोटिक दवाईयाँ हमें स्वस्थ रहने और लम्बे समय तक जीवित रहने में मदद करती हैं। नए शोध को लागू करने, नीतियों को नवीनीकृत करने और एंटीबायोटिक प्रतिरोध को प्रबन्धित करने के लिये कदमों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

- एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण की खतरनाक संख्या यह खतरा दर्शाती है कि अगले 20 साल में हम 19वीं शताब्दी के दौर में वापस जा सकते हैं, जहाँ हर रोज संक्रमण हमें मार सकते हैं।
- **चिकित्सकों को फ्लेमिंग** के शब्दों 'विवेकपूर्ण तरीके से एंटीबायोटिक दवाईयाँ इस्तेमाल करना अन्यथा उन्हें हमेशा के लिये खोना' पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। मरीजों को केवल तब ही एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करना चाहिए, जब वे डॉक्टर द्वारा निर्धारित की गई हों। मरीजों को पूरी तरह से डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए और दूसरों के साथ एंटीबायोटिक दवाएँ न तो साझा करें और न ही बचे हुए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करें।

‘फानी तूफान’

- मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। इसके द्वारा पूर्वी तट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु उड़ीसा पश्चिम बंगाल प्रभावित हो सकता है।
- इसमें 160 से 180 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलाने की आशंका है तथा 4 किमी. प्रति घंटे से यह आगे बढ़ रहा है।
- इसके प्रभाव से उत्तर-भारत में मौसम परिवर्तन, तेज हवाएं 100 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है।
- चक्रवात निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं, जो समुद्री सतह पर पैदा होते हैं। जो दक्षिणी गोलार्द्ध में घड़ी की सुई की दिशा में तथा उत्तरी गोलार्द्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है।
- उत्तरी गोलार्द्ध में इसे हरिकेन, टाइफून अनेक नामों से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जाना जाता है।
- उत्पत्ति चक्रवात की उत्पत्ति कोरियोलिस बल से होती है जिसका संबंध पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से है, भूमध्यरेखा के नजदीक जहां पानी गर्म होकर 26°C हो जाता है, इन चक्रवातों के उद्गम स्थल माने जाते हैं।

मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया।

- संसद, पठानकोट और पुलवामा जैसे हमलों को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है। पिछले एक दशक से अजहर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिबंध घोषित करवाने में जूटे भारत की कूटनीतिक कोशिशों को बुधवार को सफलता तब मिली जब चीन ने अपना वीटो हटाकर इसका समर्थन कर दिया।
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विशेष समिति बना रखी है, जिसे अलकायदा प्रतिबंध समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति के तहत घोषित आतंकियों को किसी भी देश में शरण देना न सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि उसके लिए फंड जुटाना भी मुश्किल होता है।
- उस व्यक्ति और इससे जुड़े हर तरह के संगठन की कड़ी निगरानी की जाती है और उनके बारे में संयुक्त राष्ट्र के तमाम देशों साथ सूचनाएं भी साझा करनी पड़ती है। लिहाजा अब मसूद अजहर के नाम से जुड़े हर बैंक खाते और संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 देशों का सहयोग हासिल किया है। यह सरकार की कूटनीतिक क्षमता की दर्शाता है। वर्ष 2009 में पहली बार भारत ने अजहर के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। उसके बाद चार बार ऐसा प्रस्ताव पेश हो चुका है और हर बार चीन उस पर वीटो लगाकर खारिज करवाता रहा है।
- आतंकी जैश-ए-मुहम्मद सरगना मसूद अजहर को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की अगुआई में भारत वैश्विक आतंकवादी घोषित करने में कामयाब रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिससे अब

उसे किसी तरह की आर्थिक गतिविधि की भी इजाजत नहीं होगी और हथियारों की पहुंच भी नहीं हो सकेगी।

- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा उसके वित्तीय स्रोत को खत्म करने में मदद मिलेगी। आर्थिक स्रोत को पूरी तरह सीज करना होगा।
- सदस्य देशों को अपने यहां मौजूद किसी भी संपत्ति को जब्त करनी होगा, आर्थिक संसाधनों को ब्लॉक करना होगा।
- संयुक्त राष्ट्र से जुड़े किसी भी देश के लोग आतंकी अजहर को किसी तरह की मदद नहीं पहुंचा सकेंगे।
- प्रतिबंध लगने के बाद आतंकी मसूदा अजहर यूएन के किसी भी सदस्य राष्ट्र की यात्रा नहीं कर सकेंगे।
- यूएन के सभी सदस्य देशों को अपने हथियारों, उसके निर्माण की तकनीक, स्पेयर पार्ट्स की बिक्री या फिर उस तक पहुंच को रोकना होगा।

पटना हाई कोर्ट में स्वीकार की जाएंगी हिंदी में लिखी याचिका

- पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उच्च न्यायालय में हिंदी में लिखी याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। अभी तक हाई कोर्ट में केवल अंग्रेजी में लिखी याचिका ही स्वीकार होती थी।
- हाई कोर्ट में शपथपत्र, प्रति शपथपत्र अथवा किसी अन्य प्रकार के आवेदन भी हिंदी में दायर किए जा सकेंगे।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क), 19(1)(छ) एवं 13 के तहत हिंदी का प्रयोग देशवासियों का मौलिक अधिकार है। यह भारत संघ की राजभाषा है।

